जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही (नियम–18)

1. नियम–17 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुए विभागीय कार्यवाही (जाँच) के फलस्वरूप संचालन पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् अनुशासनिक प्राधिकार को नियम–18 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए कार्रवाई करनी है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक–2178 दिनांक–28.02.2007 में उक्त नियम–18 के अनुसार कार्रवाई के लिए 02 (दो) माहों की समय–सीमा निर्धारित है।

2. नियमावली के नियम–17 एवं 18 का सम्यक अनुपालन नहीं करने के कारण कई मामलों में न्यायालयों द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही एवं अनुशासनिक प्राधिकार के दंडादेश को निरस्त करते हुए पुनः आरोप पत्र के आधार पर समर्पित बचाव के लिखित अभिकथन के स्टेज से प्रारम्भ करने का आदेश दिया जाता है। ऐसा ही एक उदाहरण सी0डब्लू0जे0सी0सं0–11293/2006 (शिवमूरत सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–30.07.2007 को पारित आदेश है।

3. जहाँ अनुशासनिक प्राधिकार संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से सहमत नहीं हो, वहाँ नियम–18 (1) एवं (2) के अनुसार उसके पास दो विकल्प रहते हैं:–

18(1) के तहत–

लिखित रूप में अभिलेखित किये जाने वाले कारणों से, मामले को संचालन पदाधिकारी को पुनः आगे जाँच करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए वापस प्रेषित कर सकता है। इस तरह से वापस प्राप्त मामले पर संचालन पदाधिकारी नियम–17 के अनुसार पुनः आगे जाँच प्रतिवेदन देगा। परन्तु अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा ऐसा निर्णय तभी लिया जा सकेगा जब किसी आरोप या आरोप के किसी अंश के संदर्भ में जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट निष्कर्ष अंकित न हो। किसी भी परिस्थिति में आगे और जाँच का निर्णय अपने मनमाफिक जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए नहीं लिया जायेगा। स्पष्ट है कि पुनर्जांच/पुनःजाँच (Re-enquiry) का निर्णय नहीं लिया जाना है।

18(2) के तहत–

असहमति के लिये अपने कारणों को अभिलेखित करेगा तथा आरोप से संबंधित स्वयं का निष्कर्ष अभिलेखित करेगा, यदि उस प्रयोजनार्थ अभिलेख में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हों।

(उल्लेखनीय है कि संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमति की स्थिति में संचालन पदाधिकारी को बदलने का कोई प्रावधान नहीं है।)

4. उक्त नियम 18 (1) एवं (2) के अन्तर्गत जाँच प्रतिवेदन पर आश्वस्त होने/निष्कर्ष पर पहुँचने के पश्चात् नियम–18(3) के अन्तर्गत जाँच प्रतिवेदन की प्रतिलिपि (अनुशासनिक प्राधिकार का निष्कर्ष यदि अलग से कुछ हो तो उसके साथ) आरोपित सरकारी सेवक को भेजी जानी है, जो अपना लिखित अभ्यावेदन या निवेदन अनुशासनिक प्रधिकार को पन्द्रह दिनों के अन्दर समर्पित कर सकता है। स्पष्टतः जाँच प्रतिवेदन में निष्कर्षतः आरोप प्रमाणित पाये जाने तथा उससे अनुशासनिक प्राधिकार के सहमत होने पर नियम–18(3) के प्रावधान के तहत जाँच प्रतिवेदन की प्रति आरोपी को उपलब्ध कराते हुए अभ्यावेदन की माँग की जानी है। यदि अनुशासनिक प्राधिकार जाँच प्रतिवेदन के

Scanned with OKEN Scanner

निष्कर्ष से पूर्णतः या अंशतः असहमत हों, तब जाँच प्रतिवेदन के साथ–साथ असहमति के बिन्दुओं को भी आरोपी को उपलब्ध कराते हुए उनसे अभ्यावेदन की मांग की जानी है। नियम–18(4) के अनुसार ऐसे लिखित अभ्यावेदन या निवेदन (यदि प्राप्त हो तो) पर विचार करने के बाद ही अनुशासनिक प्राधिकार दंडात्मक या अन्यथा अन्तिम निष्कर्ष की दिशा में कार्रवाई कर सकता है। नियम–18 (3) एवं (4) के अन्तर्गत ऐसी कार्रवाई अभ्यावेदन हेतु नोटिस दिये जाने एवं उसके उत्तर (यदि हो) पर विचार करने की कार्रवाई का स्टेज है।

5. इसके बाद आरोपमुक्ति या प्रमाणित आरोपों की गम्भीरता के आधार पर दंड निर्धारण का स्टेज आता है। नियम–18(5) के अनुसार, विभागीय कार्यवाही के आधार पर लघु दंड (अर्थात् नियम–14 के खण्ड (i) से लेकर खण्ड (v) तक में उल्लेखित दण्ड) का भी विनिश्चय किया जा सकता है। परन्तु, यदि प्रमाणित आरोपों की गम्भीरता के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार की राय वृहत दण्ड देने की होती है तो वृहत दण्ड निर्धारण का विनिश्चय किया जा सकता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि नियम–19(1)(क) के अनुसार अभ्यावेदन करने का उचित अवसर देकर भी लघु दण्ड दिया जा सकता है और विभागीय कार्यवाही संचालित कर उसके फलाफल के आधार पर भी लघु दंड दिया जा सकता है।

6. दण्ड का निर्धारण अनुशासनिक प्राधिकार ही कर सकता है। सामान्यतः प्रत्येक मामले में नियुक्ति प्राधिकार ही अनुशासनिक प्राधिकार होते हैं। जहाँ सरकार नियुक्ति प्राधिकार है वहाँ कार्यपालिका नियमावली में समूह 'ख' का नियुक्ति प्राधिकार विभागीय मंत्री को और समूह 'क' का नियुक्ति प्राधिकार मुख्यमंत्री को बनाया गया है। इस प्रकार समूह 'ख' के अनुशासनिक प्राधिकार (जहाँ सरकार/राज्यपाल नियुक्ति प्राधिकार हैं वहाँ) विभागीय मंत्री समूह 'क' के अनुशासनिक प्राधिकार मुख्यमंत्री होते हैं। परन्तु, कार्यपालिका नियमावली की अनुसूची–3 (Third Schedule) की कंडिका–28 (यथासंशोधित) में निहित प्रावधान के आलोक में समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पदाधिकारी, जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की गयी हो, तो बर्खास्त करने, सेवाच्युत करने या अनिवार्य सेवानिवृत्त कराये जाने (तीनों वृहत दण्ड) के अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दण्ड प्रस्ताव पर आवश्यकतानुसार बिहार लोक सेवा आयोग का परामर्श प्राप्त कर उस पर विचारोपरान्त मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जाना है और तत्पश्चात् ही अनुमोदित दण्ड संसूचित किया जा सकता है। उक्त प्रावधान संबंधी मार्गदर्शन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–806 दिनांक–16.01.2018 की कंडिका–7 में भी दिया जा चुका है।

7. नियम–18(5) एवं (6) के अनुसार कार्रवाई के हरेक मामले में नियम–18(7) के अनुसार, भारत–संविधान के अनुच्छेद, 320 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ग) के आलोक में, जहाँ बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक हो वहाँ उक्त आयोग से परामर्श करना है और आरोपित सरकारी सेवक पर कोई दण्ड अधिरोपित करने संबंधी कोई आदेश देने के पूर्व उसके परामर्श पर विचार भी किया जाना है।

सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक–9794 दिनांक–22.07.2019 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 (समय–समय पर यथासंशोधित) के विनियम–11 एवं 12 को प्रतिस्थापित किये जाने तथा परिपत्र संख्या–14123 दिनांक–16.10.2019 द्वारा निर्गत एतद्संबंधी स्पष्टीकरण में **राज्य सेवा संवर्ग के लेवेल–9 एवं इससे उच्चतर लेवेल**

Scanned with OKEN Scanner

के राजपत्रित कोटि के सरकारी सेवकों, जिनकी नियुक्ति/प्रोन्नति बिहार लोक सेवा आयोग अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य आयोग की अनुशंसा/परामर्श से की जाती हो, उनके अनुशासन संबंधी मामलों में पेंशन से कटौती अथवा वृहद दंड का आदेश दिये जाने की स्थिति में सरकार के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक होने का प्रावधान किया गया है।

8. आदेशों के संसूचन की प्रक्रिया के संबंध में नियम–21 में प्रावधान किया गया है। तदनुसार अनुशासनिक प्राधिकार का आदेश आरोपित सरकारी सेवक को संसूचित किया जाना है। आरोपित सरकारी सेवक को ऐसे आदेश के साथ निम्नांकित भी उपलब्ध कराये जाने हैं–

(i) आरोप के प्रत्येक मद पर निष्कर्ष (जहाँ जाँच प्राधिकार नियुक्त हो वहाँ जाँच प्राधिकार के निष्कर्षों से असहमति (यदि कोई हो) के संक्षिप्त कारणों सहित अनुशासनिक प्राधिकार के निष्कर्षों के अभिकथन की प्रति;

(ii) आयोग के परामर्श (यदि कोई हो) की प्रति; तथा

(iii) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकार ने आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया हो वहाँ ऐसे अस्वीकार किये जाने के कारणों का संक्षिप्त अभिकथन।

———————

Scanned with OKEN Scanner